प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ए0बी0–पी0एम0जे0ए0वाई0,
चतुर्थ तल, नव चेतना केन्द्र,
10, अशोक मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक –ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0/पत्रा– 431–D1/ 2632 लखनऊ : दिनांक 15 नवम्बर, 2019

विषय : आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा स्वतः सूचीबद्धता हटाये जाने अनुरोध के सम्बन्ध में।

महोदय,

अवगत कराना है कि विभिन्न जनपदों के सूचीबद्ध चिकित्सालयों द्वारा निजी कारणों से आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनान्तर्गत सूचीबद्धता समाप्त किये जाने हेतु साचीज स्तर पर आवेदन प्राप्त हो रहे हैं जबकि अभिलेखों के आधार पर की कार्य शून्यता की स्थिति में, आरोपित होने के उपरान्त अथवा जांच की प्रक्रिया से बचने के क्रम में चिकित्सालयों द्वारा ऐसा अनुरोध किया जा रहा है।

आरोपित होने के उपरान्त अनुशासनात्मक कार्यवाही के अन्तर्गत सूचीबद्धता समाप्त किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित चिकित्सालय अग्रिम 02 वर्षों की न्यूनतम अवधि तक योजना के अन्तर्गत कार्य किये जाने की अनुमन्यता नहीं प्राप्त कर सकता है। योजनान्तर्गत अनुबन्ध के उक्त प्राविधान की कार्यवाही से बचने के लिये चिकित्सालय द्वारा निजहित में ऐसा किया जा रहा है जबकि इसके विपरीत स्वतः प्रेरित होकर चिकित्सालय का योजना से विमुख होने की स्थिति में योजना की साख जनहित में प्रभावित होगी।

स्टेट इम्पैनलमेन्ट कमेटी द्वारा प्रश्नगत विषय पर प्राप्त आवेदनों के परीक्षणोपरान्त अभिमत प्रदान किया गया है कि ऐसे आवेदनों को आपकी अध्यक्षता में गठित डिस्ट्रिक्ट इम्पैनलमेन्ट कमेटी द्वारा परीक्षण करा लिया जाये, परीक्षण में चिकित्सालय के विरूद्ध प्राप्त शिकायतों, कार्य शिथिलता, अनावश्यक संदर्भन तथा निजहित में मरीजों को वर्गीकृत करते हुये इलाज करने सम्बन्धी आदि आरोपों को विशेष रूप से विश्लेषित कर लिया जाये एवं तदोपरान्त योजना से सूचीबद्धता को सकारण समाप्त किये जाने की संस्तुति स्टेट इम्पैनलमेन्ट कमेटी हेतु अधोहस्ताक्षरी को प्रेषित की जाये।

भवदीया,
15/11/19
(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी

पत्रांक –ए0बी0पी0एम0जे0ए0वाई0/पत्रा–431–D1/2019–20/ तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

(संगीता सिंह)
मुख्य कार्यपालक अधिकारी